**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**08.02.2019 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 744 का उत्तर**

**सुविधा रेल के गत्यात्मक किराये में कटौती**

**744. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेशः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सुविधा रेलों में शुरू किया गया गत्यात्मक किराया बहुत अधिक है और इसलिए यात्री ऐसी अत्यधिक दरों को वहन नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को गत्यात्मक किराए में कटौती हेतु कोई अभ्यावेदन अथवा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा किराये में कटौती हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क): सुविधा विशेष गाडि़यां आरक्षित श्रेणी के लिए अन्‍तरीय किराया संरचना पर व्‍यस्‍त मांग अवधि के दौरान चलाई जाती हैं। सुविधा गाडि़यों की किराया संरचनाएं निम्‍नानुसार हैं:-

(i) अनारक्षित द्वितीय श्रेणी: सामान्‍य सुपरफास्‍ट मेल/एक्‍सप्रेस किराया।

(ii) आरक्षित श्रेणी: प्रारंभिक 20 प्रतिशत बर्थों के लिए न्‍यूनतम किराया तत्‍काल का किराया है और उसके बाद बुक होने वाले बाद के 20 प्रतिशत सीट/बर्थों के स्‍लैबों के लिए किराया बढ़ जाता है, जो तत्‍काल किराए के अधिकतम तीन गुना तक होता है।

 बहरहाल, सुविधा गाडि़यों के अधिकतम मार्गों पर सामान्‍य किराया संरचना पर वैकल्पिक गाडि़यां पहले से ही चल रही हैं।

(ख) और (ग): कतिपय नीतियों की समीक्षा के संबंध में अभ्यावेदन/सुझाव रेल मंत्रालय, क्षेत्रीय रेलों, मंडल, स्टेशन स्तर, ऑनलाइन आदि जैसे विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हैं। इन अभ्यावेदन/सुझावों की जांच की जाती है और यथा व्यावहारिक तथा औचित्यपूर्ण कार्रवाई की जाती है। सुविधा गाड़ियों की किराया संरचना में कमी करने का, फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है।

 बहरहाल, सुविधा गाड़ियों के धन वापसी संबंधी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है और सुविधा गाड़ियों के लिए भी सामान्य धन वापसी नियम लागू कर दिये गए हैं।

\*\*\*\*\*\*